क्रम-संख्या–340

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०-डब्लू० / एन०पी०–91 / 2008–10

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 22 सितम्बर, 2009

भाद्रपद 31, 1931 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1234 / 79-वि-1–09-1(क)23-2009

लखनऊ, 22 सितम्बर, 2009

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2009 पर दिनांक 21 सितम्बर, 2009 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 2009 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम 2009

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 2009)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

अध्याय–दो

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 की धारा 124 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 124 में, उपधारा (3) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढा दी जाएगी, अर्थात :-

"(4) किसी नगरीय क्षेत्र में समाज के दुर्बल वर्गों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए, राज्य सरकार, किसी नगर पालिका में अर्जित या निहित भूमि के सम्बन्ध में ऐसे निदेश जारी कर सकती है जैसा कि वह उचित समझे।"

अध्याय–तीन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 की धारा 128 का संशोधन

3–उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 128 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढा दी जाएगी, अर्थात :–

"(2) किसी नगरीय क्षेत्र में समाज के दुर्बल वर्गों के हितों की सुरक्षित रखने के लिए, राज्य सरकार, किसी नगर निगम में अर्जित या निहित भूमि के सम्बन्ध में ऐसे निदेश जारी कर सकती है जैसा कि वह उचित समझे।"

उद्देश्य और कारण

शहरी क्षेत्रों में बसे हुए समाज के निर्बल वर्ग के व्यक्तियों को मालिकाना हक दिलाये जाने के उद्देश्य से 'सर्व जन हिताय गरीब आवास (स्लम एरिया) मालिकाना हक योजना' लागू की गयी है। यह अनुभव किया गया कि उक्त क्षेत्र में उक्त योजना का कार्यान्वयन समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है। अतएव, यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1916) और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) को संशोधित करके राज्य सरकार को ऐसे निदेश जारी करने के लिए सशक्त किये जाने की व्यवस्था की जाय जैसा वह किसी नगर निगम में या किसी नगरपालिका में अर्जित या निहित भूमि के सम्बन्ध में उचित समझे, ताकि उक्त योजना के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके और समाज के निर्बल वर्गों के हितों की रक्षा की जा सके।

तद्नुसार उत्तर प्रदश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2009 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा
सचिव।

No. 1234 (2)/LXXIX-V-1-09-1(Ka)-23-2009
Dated Lucknow, September 22, 2009

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagariya Sthaniya Swayatta Shasan Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2009 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 28 of 2009) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 21, 2009.

THE UTTAR PRADESH URBAN LOCAL SELF-GOVERNMENT LAWS (AMENDMENT) ACT, 2009

(U.P. ACT NO. 28 OF 2009)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

IT IS HEREBY enacted in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows :-

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Amendment) Act, 2009 — Short title

CHAPTER-II

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1916

2. In section 124 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916, *after* sub-section (3) the following sub-section shall be *inserted*, namely :- — Amendment of section 124 of U.P. Act no. 2 of 1916

"(4) For safeguarding the interest of weaker section of the society in an urban area, the State Government may issue directions as it may think fit with respect to the acquired or vested land in a municipality"

CHAPTER-III

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1959

3. Section 128 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 shall be re-numbered as sub-section (1) thereof and *after* sub-section (1) as so re-numbered the following sub-section shall be *inserted*, namely :- — Amendment of section 128 of U.P. Act no. 2 of 1959

"(2) For safeguarding the interest of weaker section of the society in an urban area, the State Government may issue directions as it may think fit with respect to the acquired or vested land in a municipal Corporation".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The 'Sarvajan Hitaya Gareeb Awas (Slum Area) Malikana Haq Yojana' has been introduced with a view to giving right of ownership to the persons belonging to the weaker section of the society residing in urban area. It has been felt that the said Yojana in the said areas is not being implemented properly. It has therefore, been decided to amend the Uttar Pradesh Municipalities Act, 116 (U.P. Act no. 2 of 1916) and the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (U.P. Act no. 2 of 1959) to provide for empowering the State Government to issue directions as it thinks fit with respect to the acquired or vested land in a Municipality or a Municipal Corporation, so that proper implementation of the said scheme is ensured and the interest of the weaker section of the society may be secured.

The Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Amendment) Bill, 2009 is introduced accordingly.

By order,
P.V. KUSHWAHA
Sachiv

पी0एस0यू0पी0-ए0 पी0-601 राज0-(हिन्दी)-2009-(1229)-597-(कम्प्यू0-टी/आफसेट)।